न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 134/2009
GCMS NO. : 2009/00030

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. गीता पुत्री रामदीनसिंह पत्नी हणुतसिंह जाति– राजपुरोहित निवासी– लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास बड़ा बाजार आ. कालू तहसील– जैतारण, जिला–पाली।		1. मला गोद पुत्र बुधा जाति माली निवासी मालियो की हथाई के पास आ. कालू तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व वादबाबत् **तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92एराजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955** तारीख रजू:–03.11.2009

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, प्रतिवादी

–:: निर्णय ::– दिनॉकः–30/08/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आनन्दपुर कालू में वादीया के पिता की पैतृक भूमि खसरा संख्या 527 रकबा 04–02 बीघा वाके है जिस पर पिताजी व उनके जीवनकाल से ही वादीया व उसक पति का कब्जा चला आ रहा है। खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 मे वादीया के पिता का नाम बतौर डोलीदार दर्ज है अतः इस खसरा संख्या में प्रतिवादी के पिता या किसी अन्य की खातेदारी नही हो सकती है अतः गलती से उसका नाम इस खसरा संख्या की भूमि में दर्ज कर दिया। राधा भूआजी जो बाल विधवा थी जो गीता का पालन पोषण करती थी जो 20 साल पूर्व फौत हो गयी। उक्त जमीन पर बुधा का कभी कब्जा काश्त नही रहा न उसका इस भूमि पर कोई हक अधिकार है इस साल भी वादीया ने तिल मौठ वगैरह की खेती की व अवेरी खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2016 में वादीया को अब स्वर्गीय बाल विधवा भूआ राधाबाई वादीया के छोटी होने से काश्त करती थी व संवत् 2010 में बुधा के मार्फत खाती वादीया के पिता द्वारा की जाना दर्ज है। बुधा व उसकी पत्नी की मृत्यु हो गयी है व मला उनके गोद है वादीया का मुख्य धन्धा कृषि है व उसी से उसका व उसके परिवार का गुजारा होता है। प्रतिवादीगण अब धमकियां देता है कि जमीन उसके नाम दर्ज है अतः आयन्दा वादीया को खेती नही बौने देगा जबकि यह जमीन शुरू से ही वादीया के पूर्वजो की डोली की है जिस पर प्रतिवादी का हक व अधिकार नही लगता, न कभी कब्जा काश्त रहा है। वादीया वृद्ध व अकेली है इसकी जमीन पर प्रतिवादी ने जबरन कब्जा कर लिया या फसल नष्ट कर दी तो वादीया को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नही होगी। रेकर्ड में भुआ का नाम गलत दर्ज है उसे रद्ध किया जाना व वादीया के नाम खातेदारी की जाना कानूनन आवश्यक है ताकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:53:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

हमेशा के लिए लड़ाई झगड़ा व केसबाजी की समाप्ति हो जायेगी। प्रतिवादी की नियत खराब है गलत रेकर्ड का गलत फायदा उठाकर धमकीया देते है कि वह जमीन किसी व्यक्ति या एस.सी.एस.टी. वाले को बैच देंगे व जबरन कब्जा कर लेंगे। अगर प्रतिवादी ने ऐसा किया तो विविध प्रकार की मुकदमेंबाजी व झगड़ेबाजी होगी। अपनी जमीन पर कब्जा प्रतिवादी या किसी अन्य को नही करने देंगी। केवल मात्र रेकर्ड में नाम गलत दर्ज होने से उसे कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। दिनांक 27.10.2009 के भी उसने खेत पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी, पहले शांतिपूर्ण कब्जा काश्त होने से दावा की नोबत नही आयी परन्तु अब उसकी ऐसी बदनियति को देखते हुए यह दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। बिनाय वाद दिनांक 27.10.2009 को जबरन कब्जा करने की धमकी देने पर बमुकाम कालू में उत्पन्न हुआ जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश कर कथन किया कि सरहद मोजा आनन्दपुर कालू चक नम्बर 02 की खसरा संख्या 527 रकबा 05-02 बीघा भूमि प्रतिवादी की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आई हुई है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी व इनके बाप दादा के समय से कब्जा व काश्त करते आ रहे है। वादीया व उसके पति का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त नही रहा। वक्त सेटलमेंट के समय से प्रतिवादी के पिता बुधा के नाम पर्चा लगान जारी हुआ था। पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से प्रतिवादी के पिता व अब प्रतिवादी का शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के बतौर खातेदार काश्तकार की हैसियत से एज ऑफ राईट के कब्जा व काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि की कीमत ज्यादा होने से वादीया की नियत खराब हो जाने से उक्त झूठा वाद पेश किया है। केवल मात्र वादीया के पिता का नाम मिसल बंदोबस्त बतौर डोलीदार गलत दर्ज होने के आधार पर राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी के पिता का नाम नही हटाया जा सकता। उक्त भूमि के लगते ही प्रतिवादी की अन्य खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 526, 525, 538, 528 की आई हुई है सभी खसरान का मौके पर एक चक बनाया हुआ है जिस पर प्रतिवादी का पीढियो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। सम्पूर्ण भूमि के चारो तरफ जोधपुर कातले रोपकर तारबंदी की हुई है। तथा प्रतिवादी की पिछले 10 से 12 वर्ष से मेहन्दी की फसल बोई हुई है। वादीया का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा। न वर्तमान में है। प्रतिवादी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज होने की बात सरासर गलत व बनावटी है। विवादित भूमि पर सेटलमेंट के पहले से ही प्रतिवादी के पिता बुधा की कब्जा शांतिपूर्वक बातैर खातेदार की हैसियत से चला आ रहा है। हर वर्ष प्रतिवादी काश्त करता है। प्रतिवादी के [illegible]धा आज से 08 वर्ष पूर्व फौत हो चूके है, बतौर फौतेदगी म्युटेशन [illegible] आकर प्रतिवादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया उक्त भूमि किसी [illegible] या डोली आदि की नही है। खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 में रा[illegible]दीन का नाम डोलीदार लिखा होने से खातेदार काश्तकार नही होता है। खातेदार काश्तकार वक्त सेटलमेंट से बुधा पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:53:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ोभाजी कौम माली दर्ज है, जो सही है। खसरा संख्या 527 के अलावा खसरा संख्या 525 व 528 में भी रामदीन डोलीदार लिखा हुआ है जिसका वादीया ने वाद में विवाद नही बताया है केवल मात्र खसरा संख्या 527 को वक्त दावा की रुह से हड़पने की नियत से झूठा दावा किया है जो काबिल खारिज के है। वादीया ने विवादित खेत में तिल व मोठ की खेती करने का अवेरने का लिखा जो सरासर गलत है। विवादित भूमि प्रतिवादी की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने से वादीया को धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता। वादीया का इस भूमि पर कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है केवल मात्र प्रतिवादी को तंग व परेशान करने की नियत से व प्रतिवादी की खातेदारी भूमि हड़पने की नियत से झूठा दावा किया है। जो काबिल खारिज के है। मुतनाजा जमीन पर वादीया का कभी कब्जा काश्त नही रहा ही नही तो फसल बोने व नष्ट करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। वादीया का नियत खराब हो गई है प्रतिवादी की खातेदारी भूमि पर कब्जा करना चाहती है और राजस्व रेकर्ड को गलत बताती है। वादीया ने दिनांक 27.10.2009 को मुतनाजा भूमि के बारे में प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा करने की धमकी देने का लिखा है जो गलत है। मुतनाजा भूमि प्रतिवादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की होने से वादीया को धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है, वादीया का वाद म्याद बाहर होने से काबिल खारिज के है। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्यवादी में साक्ष्य शपथ पत्र पेश किए शामिल मिसल किए गए। साक्ष्य शपथ पत्र पर जिरह पूर्ण की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी ने साक्ष्य प्रतिवादी में साक्ष्य शपथ पत्र पेश किए, जो शामिल मिसल किए गए। साक्ष्य शपथ पत्र पर जिरह पूर्ण की गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

वादपत्र का विवाद्यकवार/तनकीयातवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1.आया मौजा आनन्दपुर कालू में वादीया के पिता की पैतृक भूमि खसरा संख्या 527 रकबा 04–02 बीघा कदीमी कब्जा काश्तशुदा है व 2011 से 2030 में बतौर डोलीदार खतौनी बंदोबस्त में दर्ज है? **जिम्मे वादीया**

2. आया गलती से प्रतिवादी के पिता की इस खसरा संख्या की खातेदारी दर्ज हो गई– **जिम्मे वादीया**

उपर्युक्त दोनो विवाद्यक समान प्रकृति के होने तथा परस्पर अन्तनिर्भर होने से एवं साक्ष्य एवं विवेचन के दौहराव से बचने के लिए उपर्युक्त दोनो विवाद्यक का विवेचन एवं निर्णयन एक साथ किया जा रहा है, उपर्युक्त दोनो विवाद्यको को साबित करने की जिम्मेदारी वादीया की है। वादीया द्वारा वादपत्र में यह कथन किया है कि मौजा आनन्दपुर कालू में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 527 रकबा 04–02 बीघा वादीया के पिता की पैतृक भूमि है। खतौनी बंदोबस्त संवत 2011 से 2030 में वादीया [illegible] का नाम बतौर डोलीदार दर्ज है। जिसमें प्रतिवादीगण का कोई [illegible] प्रतिवादीगण का नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया है। [illegible] पर वादीया के पिता तत्पश्चात बालविधवा भूआ राधा बाई जो 20 वर्ष पूर्व फौत [illegible] गई व उसके पश्चात वादीया व उसके पति का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीया द्वारा साक्ष्य वादी में प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:53:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यु.1 में जिरह के दौरान यह स्वीकार किया कि मैं रे पिता की एक ही संतान हूं तथा मेरे कोई भाई बहिन नही है यह जमीन ुरोहितो की डोली है, मन्दिर की डोली नही है। उक्त जमीन का पट्टा पटवारीयो की भूल से बुधा वल्द शोभा के नाम से है। उक्त जमीन पर कब्जा काश्त मेरा है। वादी साक्ष्य गोकलराम पुत्र भोलाराम मेघवाल उम्र 75 वर्ष निवासी आनन्दपुर कालू प्रदर्श पी.डब्ल्यु.2 ने जिरह मे कथन किया कि गीता देवी की उम्र वर्तमान में 80 वर्ष की है। यह कहना गलत है कि मलारामजी की इस जमीन पर काश्त की हुई हो। विवादित जमीन के पास प्रतिवादी की 15 बीघा जमीन आई हुई हैं। मेरा खेत विवादित खेत से 4-5 खेत छोड़कर आगे आया हुआ है। काश्त कब्जा के आधार पर मैं कहता हूं कि यह जमीन गीता देवी की है। गवाह वादी पी.डब्ल्यु.3 रूपाराम पुत्र भंवरलाल माली उंम्र 70 वर्ष निवासी आनन्दपुंर कालू ने जिरह में कथन किया कि उक्त विवादित जमीन के पास में मेरी जमीन है जिसके खसरा संख्या मुझे याद नही है। मैं गीता देवी को जानता हूं यह यहां की बेटी है। जमीन पर पिछले 60 साल से गीता देवी का कब्जा है। वादी द्वारा प्रस्तुत व प्रदर्श दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-1 ग्राम कालू आनन्दपुर तहसील जैतारण की खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 के कॉलम संख्या 03 भोक्ता का नाम के रूप में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 527 रकबा 04-02 बीघा रामदीन वल्द प्रभु कौम पुरोहित सा. देह डोलीदार दर्ज है वही कॉलम संख्या 04 में उपभोक्ता के रूप में बुद्धा वल्द सोबा कौम माली सा. देह दर्ज है। वादग्रस्त आराजी के खसरा गिरदावरी प्रदर्श-2 संवत् 2010 से 2013 भूमि अधिकारी (जागीरदार, उपजागीरदार तथा माल गुजार, बिस्वेदार या जमींदार) का विवरण एवं भूमि अधिकारी का प्रकार के रूप में रामदीन डोलीदार के रूप में दर्ज है। तथा कृषक के रूप में बुधा दर्ज है। प्रदर्श-3 खसरा गिरदावरी संवत् 2014 से 2016 में भूमि अधिकारी (जागीरदार, उपजागीरदार तथा माल गुजार, बिस्वेदार या जमींदार) का विवरण एवं भूमि अधिकारी का प्रकार के रूप में गीता डोलीदार के रूप में दर्ज है। तथा कृषक के रूप में बुध्दा खातेदार दर्ज है। वही संवत् 2015 में राधा पुरोहित खुदकाश्त दर्ज है। प्रदर्श-4 खसरा गिरदावरी संवत् 2017 से 2020 में भूमि अधिकारी (जागीरदार, उपजागीरदार तथा माल गुजार, बिस्वेदार या जमींदार) का विवरण एवं भूमि अधिकारी का प्रकार के रूप में राजस्थान सरकार दर्ज है। तथा कृषक के रूप में संवत् 2017, 2018 में बुधा वल्द शोभा माली तथा संवत् 2019 में गीता पुरोहित व 2020 में खातेदार व गीता पुरोहित दर्ज है।

प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी मलाराम पुत्र बुद्धाजी का साक्ष्य शपथ पत्र प्रदर्श-डी.डब्ल्यु 1 में जिरह के दौरान प्रतिवादी के द्वारा स्वीकार किया गया कि विवादित जमीन प[illegible] बहिन राधाबाई व उसके बाद गीता बाई को काश्त करते मैने नही देख[illegible]त खेत के ध्रुव दिशा में मेरा खेत है। खसरा संख्या 527 में [illegible] से बोता हूँ। प्रतिवादी गवाह उगमाराम पुत्र मांगूराम मेघवाल निवासी आनन्दपुर कालू डी.डब्ल्यु.2 ने जिरह में स्वीकार किया कि वादग्रस्त भूमि के खसरा संख्या मुझे पता नही है यह जमीन 04-02 बीघा है। उक्त जमीन केरियानाड़ा के नाम बोलते है। प्रतिवादी साक्ष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:53:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

प्रदर्श–डी1 ग्राम आनन्दपुर कालू द्वितीय की वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 के अनुसार मला गोदपुत्र बुद्धा माली बतौर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–डी2 खतौनी बंदोबस्त 2011 से 2030 में वादग्रस्त आराजी का भौक्ता के रूप में रामदीन वल्द प्रभु पुरोहित डोलीदार एवं उपभोक्ता के रूप में बुद्धा वल्द सोबा माली के रूप में दर्ज है। प्रदर्श–डी3 वादग्रस्त आराजी की मिसल बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 के अनुसार बुद्धा वल्द शोभा बतौर खातेदार दर्ज है। वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 प्रदर्श–डी5 के अनुसार वादग्रस्त आराजी रीजूम डोली होना अंकित है।

राजस्थान भू सुधार एवं जागीरदार पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 2 की परिभाषा के अन्तर्गत जागीर भूमि की परिभाषा निम्नानुसार है ***2(h) - "Jagir Land" means any land in which or in relation to which a Jagirdar has rights in respect of land revenue or any other kind of revenue and includes any land held on any of the tenures specified in the First Schedule.***

इस प्रकार उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में वर्णित भूमियां जागीर भूमि के अन्तर्गत आती है, वादग्रस्त आराजी की खतौनी बन्दोबस्त के कॉलम संख्या तीन **''भौक्ता''** का नाम के रूप में ''रामदीन वल्द प्रभु कौम पुरोहित डोलीदार''एवं कृषक के रूप में बुद्धा वल्द सोबा माली का नाम दर्ज है। उक्त डोली न तो किसी शाश्वत नाबालिग देव मंदिर/मूर्ति की है तथा न ही ऐसा कोई शाश्वत नाबालिग देव मंदिर/मूर्ति भौक्ता के रूप में दर्ज है बल्कि खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 प्रदर्श–1 एवं वादग्रस्त आराजी की खसरा गिरदावरियां प्रदर्श–2 से प्रदर्श–4 में वादीया के पिता रामदीन को भौक्ता एवं डोलीदार के रूप में अंकित किया गया है, खतौनी बंदोबस्त के कॉलम संख्या 03 एवं खसरा गिरदावरी का कॉलम संख्या 05 जिसमें वादीया के पिता का नाम बतौर भौक्ता एवं भूमि अधिकारी (जागीरदार, उपजागीरदार तथा माल गुजार, बिस्वेदार या जमींदार) का विवरण एवं भूमि अधिकारी का प्रकार के रूप में डोलीदार दर्ज है। तथा खतौनी बंदोबस्त के कॉलम संख्या 04 एवं खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या 06 में उपभोक्ता/कृषक के रूप में बुद्धा जो कि प्रतिवादी संख्या 01 का पिता है, का नाम दर्ज है। यह भी अभिलेख से साबित है कि वादग्रस्त आराजी वादीया के पिता की खुदकाश्त भूमि नही रही है। उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 23– भौक्ता एवं प्रविष्टि संख्या 38– डोली को जागीर भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 09 में निम्नानुसार प्रावधान है:– **9.** ***Khatedari rights in jagir lands. - Every tenant in a jagir land who at the commencement of the Act is entered in the records as a Khatedar, patidar, khademdar or under any other description implying that the tenant has heritage and full transferable rights in the tenancy shall continue to have such rights and shall be called a khatedar tenant in respect of such land.***

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:53:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 02(h) एवं अनुसूची प्रथम की प्रविष्टि संख्या 23– भौक्ता एवं प्रविष्टि संख्या 38– डोली के अनुसार वादग्रस्त आराजी जागीर भूमि की श्रेणी में आती है तथा प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में बतौर उपभोक्ता/काश्तकार के रूप में दर्ज एवं काबिज रहा हैं, तथा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 09 के अन्तर्गत ऐसा काश्तकार अधिनियम के प्रवर्तन के साथ ही उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार हो चुका था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत एवं प्रदर्श साक्ष्य प्रदर्श–डी5 वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 में वादग्रस्त आराजी ''रिजूम डोली'' होना अंकित है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के प्रवर्तन के साथ ही डोली रिजूम होकर अधिनियम की धारा 09 के तहत काश्तकार उपभोक्ता प्रतिवादी मलाराम के पिता बुद्धा को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चूके थे। अतः वादग्रस्त आराजी में वादीया या वादीया के पिता को कोई खातेदारी अधिकार कभी भी प्राप्त नही हुए। भू अभिलेख में प्रतिवादी के नाम दर्ज प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होना साबित नही होता है। अतः उपर्युक्त दोनो विवाद्यक भलीभांति साबित नही होने से वादीया के विरूद्ध निर्णित किए जाते है।

3. आया माफिक रिलीफ वादीया डिक्री प्राप्त करने की मुस्तहक है? जिम्मे वादीया

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीया की है। पूर्व विवेचित एवं निर्णित विवाद्यक संख्या 01 एवं 02 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी जो कि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है तथा वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होना साबित नही होता है। विवाद्यक संख्या 01 व 02 वादीया के विरूद्ध निर्णित हुए है लिहाजा वादीया माफिक रिलीफ डिक्री प्राप्त करने की मुस्तहक नही है। अतः यह विवाद्यक भली भांति साबित नही होने से वादीया के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

4. आया जमीनो की कीमते बढ जाने से दावा गलत किया है? जिम्मे प्रतिवादी

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत एवं प्रदर्श नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि वादीया द्वारा हस्तगत वाद जमीनो की कीमते बढ जाने के कारण किया हो। यह अलग बात है कि विवाद्यक संख्या 01 से 03 वादीया के विरूद्ध निर्णित हुए है लेकिन इसंका यह कतई आशय नही हो सकता कि वादीया द्वारा जमीनो की कीमते बढ जाने के कारण यह दावा किया हो। अतः यह विवाद्यक भली भांति साबित नही होने से प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

5. आया वादीया का विवादित भूमि पर कब्जा नही है? जिम्मे प्रतिवादी

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की है। उभयपक्ष द्वारा वादग्रस्त आराजी का संवत् 2011 से 2020 तक की विभिन्न खसरा गिरदावरीया प्रस्तुत की है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी पर काश्तकार/उपभोक्ता के रूप में बुधा वल्द शोभा माली तथा संवत् 2019 में गीता पुरोहित व 2020 में खातेदार व गीता पुरोहित दर्ज है। लेकिन उभयपक्ष द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:39:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि संवत् 2020 के पश्चात से तथा वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त किसका है। मौखिक साक्ष्य में उभयपक्ष द्वारा अपना अपना कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है लेकिन इसे स्वीकृत तथ्य के रूप में संशय से परे अकाट्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार नही किया जा सकता है। अतः अन्तिम रूप से उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य से इस निष्कर्ष पर नही पहूंचा जा सकता कि वादग्रस्त आराजी किसके कब्जे काश्त में है। अतः यह विवाद्यक बखूबी साबित नही होने से प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

6. अन्य अनुतोष– पूर्व विवेचित एवं निर्णित विवाद्यको से प्रकरण में निहित समस्त विवाद्य विषयो का विवेचन एवं निर्णयन किया जा चूका है। लिहाजा अन्य कोई अनुतोष प्रदान किया जाना आवश्यक एवं शेष नही है।

अतः उपर्युक्त विवाद्यक वार विवेचन एवं निर्णयन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादीया वादपत्र को साबित करने में पूर्णतया असफल रही है लिहाजा वादपत्र भली भांति साबित नही होने से वादपत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

–::आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीया अंतर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। वादपत्र इसी मुताबिक बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक **30/08/2022** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:53:03 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 134/2009
RCMS No. : 2009/00030

-: वादी :-	बनाम	-: प्रतिवादीगण :-
1. गीता पुत्री रामदीनसिंह पत्नी हणुतसिंह जाति- राजपुरोहित निवासी- लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास बड़ा बाजार आ. कालू तहसील- जैतारण, जिला-पाली।		1. मला गोद पुत्र बुधा जाति माली निवासी मालियो की हथाई के पास आ. कालू तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबतघोषणा
अन्तर्गत धारा 88, 92ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०न० :- रा०वा० स०: 134/2009
निर्णय एवं डिक्री दिनांक : 30.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....-........ व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व चुतराराम भाटी अधिवक्ता, प्रतिवादी, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीया अंतर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। वादपत्र इसी मुताबिक बहक प्रतिवादीगण विरुद्ध वादी डिक्री किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 30/08/2022 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण (जिला-पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	02-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	01-50	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुतफर्रिक	
मिजानः-	05-50	मिजानः-	01-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:53:03 IST
Reason: SelfAttested